परिशिष्ट-स

संचालनालय,
आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं
मध्यप्रदेश, भोपाल
E-mail:- dirtadp@mp.gov.in
Faxno.-0755-2554655

क्रमांक/621/वनअधि/15/ 136 भोपाल, दिनांक 16-04-15

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषयः— अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिये जाने बाबत्।

संदर्भः— संचालनालय का पत्र क्रमांक/वन/विस1331/14/5444, दिनांक 7.1.2015 एवं पत्र क्रमांक/161ए/वनअधि/15/6632, दिनांक 3.3.2015

विषयान्तर्गत वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिये जाने हेतु संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको निर्देशित किया गया है। जिलों में अभी भी बड़ी संख्या में सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिये जाने शेष है। चूंकि सामुदायिक वन अधिकार के दावों को प्रस्तुत करने एवं उन्हें प्राप्त करने में व्यक्ति विशेष की रूचि कम होने से ग्रामसभा में दावे प्रस्तुत नही हो पा रहे है, जबकि वनभूमि में ग्रामवासी पुरातन समय से कौन–कौन से अधिकारों का उपयोग कर रहे थे, इसकी जानकारी वन विभाग एवं राजस्व विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों, दस्तावेजों से की जाकर सामुदायिक अधिकारों को चिन्हित किया जा सकता है। सामुदायिक वन संसाधनों को राजस्व अभिलेख निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख, खसरा पंजी में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 18 के अनुसार दखल रहित भूमि के रूप में राजस्व विभाग के द्वारा दर्ज किया जाता रहा है। अनुविभागीय **अधिकारी (राजस्व) को मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत विशेष अधिकार दिये गये है।** वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 5 से 19 तक की लंबित जांच एवं कार्यवाही के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रदान किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति का अध्यक्ष भी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को नामांकित किया गया है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की तिहरी भूमिका होने से वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3(1) कंडिका ख, ग, घ एवं कंडिका ड़ में उल्लिखित सामुदायिक वन अधिकार वन निवासियों को प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अधिनियम की धारा 4(1) में अधिसूचित भूमि के पुराने व नये खसरा नंबर, उनकी दर्ज मद एवं उन पर बताये गये प्रयोजन एवं अधिकारों के ब्यौरे वन व्यवस्थापन नस्ति सहित राजस्व अभिलेखों से तैयार करा सकते है। इसी तरह चिन्हित वनभूमि के भी ब्यौरे राजस्व अभिलेखों से तैयार करा सकते है।

उपरोक्त ब्यौरे के आधार पर संबंधित ग्रामसभा से सामुदायिक वन अधिकार के दावे प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जाकर उपखण्ड स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति से सामुदायिक वन अधिकार के हक प्रमाण पत्र जारी कराये जा सकते है।

प्रदेश में मान्य सामुदायिक अधिकार पत्रों के चिन्हांकन हेतु वन एवं राजस्व विभाग के उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों के समन्वय से वनखण्डवार जानकारी निम्न प्रपत्र में तैयार कर सामुदायिक अधिकारों की पहचान की जा सकती है :—

निरंतर.......2

वन अधिकार कानून के अनुसार वनखण्डों में सामुदायिक अधिकार पत्र

ग्राम का नाम : .... ब.नं. : .... प.ह.नं. : .... वनखण्ड का नाम : ....

वनखण्ड में शामिल किया		बाजिबुल अर्ज या हुकूक रजिस्टर या रूढि पत्रक या रिकार्ड ऑफ राइट्स में दर्ज भूमि की		अधिकार अभिलेख के अनुसार नया खसरा नंबर	निस्तार पत्रक या अधिकार अभिलेख या खसरा पंजी में दर्ज	
खसरा नं.	रकबा	मद	भूमि का प्रयोजन		मद	प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7

उपरोक्तानुसार प्रपत्र के कालम 6 एवं 7 में निस्तार पत्रक या अधिकार अभिलेख या खसरा पंजी में दर्ज मद एवं प्रयोजन की जानकारी वनखण्डवार तैयार हो जायेगी।

अतः आपके जिलों में उपरोक्तानुसार प्रपत्र में वनखण्डवार जानकारी तैयार कराकर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को निर्देश जारी करें कि वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत समस्त सार्वजनिक संयोजन की वनभूमि के वन संसाधनों के उपयोग के लिये सामुदायिक वन अधिकार पत्र जारी करायें। आपसे यह भी अनुरोध है कि इस कार्य की नियमित समीक्षा आपके स्तर से प्रत्येक समय–सीमा की बैठक में करें तथा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में नियमित रूप से प्रतिमाह की 10 तारीख तक इस संचालनालय को ईमेल अथवा फैक्स पर उपलब्ध करावें।

संलग्न : यथोपरि।

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/621/वन अधि/15/ 137 भोपाल दिनांक 16-04-15

प्रतिलिपि :–

समस्त संभागीय आयुक्त (राजस्व) .... संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण, संभाग .... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण .... मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

सहायक नियोजन ...

प्रपत्र

क्र.	जिला	उपखण्ड	ग्राम का नाम	वनखण्ड नंबर	वनखण्ड का नाम	पटवारी हल्का नं.	निस्तार पत्र या अधिकार अभिलेख या खसरा पंजी में दर्ज		कालन नं. 8 व 9 में दर्ज मदवार प्रयोजन का सामुदायिक वन अधिकार दावा ग्रामसभा में प्रस्तुत करने का दिनांक	दावे का निराकरण (मान्य / अमान्य / लंबित)	दावा मान्य होने की स्थिति में हक प्रमाण पत्र प्रदाय करने का दिनांक	दावा अमान्य होने की दशा में अमान्य करने का कारण
							मद	प्रयोजन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

हस्ताक्षर जिला अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग